कार्यालय मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,
इलाहाबाद

पत्रांक :-8386/108 याता(कौशा0)-इ0क्षे0/16 दिनांक :-09/9/2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

विषय :- **हिस्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मूरतगंज-राजापुर मार्ग (SH-94) के किमी0 पत्थर सं0-30 से 140 मीटर पर बांयी तरफ भुखण्ड सं0-1530 मी0 ग्राम सरसवां, तहसील मंझनपुर परगना अथरवन जनपद कौशाम्बी में नये रिटेल आउटलेट (एम0एस0 एवं एस0एच0डी0 सुविधा सहित) पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी का पत्रांक 847(3)/जे0ए0-कौशाम्बी/2016 दिनांक 26.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित हिस्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मूरतगंज-राजापुर मार्ग (SH-94) के किमी0 पत्थर सं0-30 से 140 मीटर पर बांयी तरफ भुखण्ड सं0-1530 मी0 ग्राम सरसवां, तहसील मंझनपुर परगना अथरवन जनपद कौशाम्बी में नये रिटेल आउटलेट (एम0एस0 एवं एस0एच0डी0 सुविधा सहित) पम्प की स्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की आख्या के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत राज्य मार्गों पर नगर निगम सीमा के बाहर कृषि भूमि पर, मार्ग के मध्य बिन्दु से 22.86 मीटर (75 फिट) से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउण्ड्री वाल न बनाया जाय। लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
2. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग द्वारा आउटलेट के स्वामी के ही नाम दर्ज है, का सत्यापन अवश्य ही करा लिया जाय। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र न निर्गत किया जाय।
3. मार्ग के जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार 1.00 मीटर स्पान की स्लैब कलवर्ट के साथ एम0एस0 ग्रेडिंग के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं क्रास ड्रेनेज हेतु पक्की नाली तथा रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड एवं अग्निशमन यन्त्र, आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वंय के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाय।
5. जल-मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाय तथा निर्माण सामग्री मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाय।

6. प्रस्तावित कार्यस्थल का कुर्सी तल मार्ग की लेपित सतह से 30.00 सेंमी0 (1) नीचे रखी जाय।

7. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे।

8. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में, न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

9. प्रस्तावित निर्माण कार्य मानचित्र के अनुरुप ही कराया जाय तथा आई0आर0सी0 पब्लिकेशन का पूर्ण पालन किया जाय।

10. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रुप में उपभोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

11. संलग्न मानचित्र एवं दिये गये शपथपत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य निर्माण न कराया जाय। यदि किया जाता है, तो निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शा0सं0 RW/NH/19-DO-III दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर–5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिक रु0 2,00,000.00 (रु0 दो लाख) मात्र एक मुश्त लाइसेन्स के रुप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत जो मुबलिक रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) मात्र है उसके स्थान पर अभिषेक आनन्द त्रिपाठी पुत्र श्री जवाहर लाल त्रिपाठी, निवासी ग्राम व पोस्ट सरसवां जनपद कौशाम्बी के नाम शपथपत्र संलग्न है।

संलग्नक :– मानचित्र एक प्रति।

7/9/16

(एच0एन0 पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
इलाहाबाद

पत्रांक :– /108 याता(कौशा0)–इ0क्षे0/16 **दिनांक :–** / /2016

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या 5507/50 काम.बी.–इला0वृ0/16 दिनांक 05.09.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कौशाम्बी को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
इलाहाबाद